

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 () वसु / मुवसं / 2022-23 / 3173
निमित्त,

दिनांक 18-04-2022

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़।

विषय:— Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya matat.
proposal No.FP/RJ/TRANS/50545/2020

संदर्भ:— आपका Online Proposal दिनांक 15.04.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से 6.54 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को Online प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियाँ पाई गई है:—

- 1- प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुई है।
- 2- प्रकरण में DFL का एसटीमेट नहीं दिया गया है। साईट स्पेशिफिक प्राक्कलन तैयार कर अपलोड करे।
- 3- प्रकरण में 13.08 हैक्टर का DFL लिया जाना है। आप द्वारा 76.80 हैक्टर भूमि DFL हेतु प्रस्तावित की गई है एवं यूजर एजेंसी से 65 हैक्टर DFL हेतु राशि चार्ज की गई है। नियमानुसार 13.08 हैक्टर क्षेत्र ही DFL हेतु लिया जाना था, इतना अधिक क्षेत्र DFL में क्यों लिया गया है? कारण स्पष्ट करें।
- 3- मेडीसनल प्लान्ट का एसटीमेट प्रस्तुत करे।

अतः उक्त प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर पुनः ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर। 